<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर</u>

<u>दा०अ०क्र०. 1213/2001</u>

रामलाल ठाकुर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.07.2007 के लिए सूचीबद्ध

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश
13.07. 2007

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

दा०अ०क्र०. 1213/2001

अपीलार्थी	**रामलाल ठाकुर,पिता बुराजी ठाकुर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी - ग्राम पातालिया, पुलिस थाना - बलाटा, जिला - झालाबाद (राजस्थान)**
	बनाम
उत्तरवादी	**छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना, सिविल लाइन, रायपुर, छत्तीसगढ**

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

श्री शैलेन्द्र दुबे, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री अरुण साव, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय दिनांक 28.07.2006

सुनील कुमार सिन्हा न्यायधीश

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस अधिनियम), रायपुर द्वारा पारित दिनांक 16.10.2001 के दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। जिसके तहत विशेष आपराधिक प्रकरण क्र. 94/99 में अपीलार्थी को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी अधिनियम , 1985 (संक्षेप में एन डी पी एस एक्ट) की धारा 18 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया गया और उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1,00,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया,

तथा अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

2. अभियोजन के अनुसार मामला यह है कि एक अन्य अपराध की सूचना पर, उप निरीक्षक राजेश तिवारी (आ.सा. क्र.-7) शंकरनगर क्षेत्र में गए और रोजनामचा सनहा 605 (प्रदर्श-पी/18) में प्रविष्टि करने के बाद डकैती के आरोपियों की तलाश हेतु बस स्टैंड गए, जहाँ उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एयर बैग में स्वापक औषधि सामग्री रखने की आशंका में एक स्थान पर बैठे हैं जिसमें मादक पदार्थ रखे होने का संदेह है। उन्हें ढूंढा गया और एन.डी.पी.एस. एक्ट के आवश्यक प्रावधानों का पालन करते हुए, जब अपीलार्थी के एयर-बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें 4 किलो अफीम पाई गई। इस संबंध में जप्तिपत्रक तैयार किया गया और बरामद वस्तु के नमूने लिए गए और सील किया गया| शेष वस्तु भी सील की गई। आरोपी को हिरासत में लिया गया और पुलिस थाना लाया गया तथा बताया गया की उसी समय रामलाल, लालचंद एवं नारायण के कब्जे से सभी अफीम जब्त की गई। अफीम अपीलार्थी के कब्जे से जब्त की गई और उसके विरुद्ध अलग से कार्यवाही की गई। जब्त की गई सामग्री को मालखाने में जमा किया गया और उसे परीक्षण के लिए भेजा गया। परीक्षण हेतु सामग्री को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया, जिसे उप निरीक्षक के माध्यम से दिनांक 14.10.99 (प्रदर्श.-पी/1) को भेजा गया, जहाँ से 30.10.99 को (प्रदर्श.-पी/25) रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षण के लिए भेजा गया पदार्थ अफीम पोस्त (सामान्यतः अफीम के नाम से जाना जाता है) का अपूर्ण जमावयुक्त रस था, जिसमें 4.33% मोरफिन पाई गई।

3. विचारण पर, विशेष न्यायाधीश ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 18 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत आरोपी विरचित किए गए और निष्कर्ष के उपरांत, अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर उपरोक्त सजा सुनाई गई |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी की दोषसिद्धि, विवेचना अधिकारी उप-निरीक्षक राजेश तिवारी (आ.सा. क्रमांक-7) की गवाही पर आधारित है, जो रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से समर्थित है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पंच आ.सा., सैयद सादिक अली (आ.सा. क्रमांक-5) और अवधेश मिश्रा (आ.सा. क्रमांक-6) पक्षद्रोही हो गए हैं, केवल विवेचना अधिकारी (आ.सा. क्रमांक-7) की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि उचित नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ***जगदीश बनाम म.प्र राज्य (2003) 9 SC 159*** के निर्णय पर अवलंब लिया है, जिसमें कहा गया था कि यदि अभियोजन का मामला केवल विवेचना अधिकारी की गवाही पर आधारित हो, जो उस समय स्वापक के उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत था, और जब दोनों पंच आ.सा. अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं कर रहे हों, साथ ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी पक्षद्रोही बयान दे चुके है और उन्होंने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, तो विवेचना अधिकारी की गवाही का विश्लेषण करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उसकी गवाही में कई कमियां हैं, और केवल उसकी गवाही के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा, और ऐसी परिस्थितियों में अपील स्वीकार की गई।

6. मूल रूप से, जहा तक इस संबंध में विधिक स्थिति का संबंध है यह तय हो चूका है की यदि विवेचना अधिकारी की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है और प्रति परीक्षण में उसकी गवाही को अविश्वसनीय साबित करने के लिए कोई ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, अथवा उसकी गवाही अविश्वसनीय नहीं पाई गई है, तो दंड न्यायालय केवल विवेचना अधिकारी की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध के लिए न्यायसंगत होगा। मैं अपने विचार में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय से पुष्ट हूं, जो ***लोपचंद नारुजी जाट बनाम गुजरात राज्य (2004) 7 SCC 566*** में दिया गया है। सामान्यतः, जब अभियोजन द्वारा दी गई गवाही किसी तथ्य पर केवल पुलिस गवाहों पर आधारित होती है, तो न्यायालय इस प्रकार, यह केवल सावधानी के तौर पर पुष्टिकरण की मांग करती है, ना की नियम के तोर पर| इस प्रकार यह केवल विवेक का नियम है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जो न्यायलय को स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि तलाशने क लिए प्रेरित करता है| लेकिन जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुलिस की गवाही पर स्वतंत्र रूप से भरोसा किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में स्वतंत्र पुष्टि के बिना भी उस गवाही को स्वीकार करने में कानून में कोई रोक नहीं है। (कृपया देखें ***प्रवीण कुमार बनाम कर्नाटक राज्य, (2003) 12 SCC 199)***

7. वर्तमान मामले में, विशेष न्यायाधीश ने विवेचना अधिकारी की गवाही को विश्वसनीय माना है और सहायक साक्ष्य से सहायता प्राप्त कर उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की है। अतः, जब तक उसकी गवाही को चुनौती नहीं दी जाती और अविश्वसनीय नहीं पाया जाता, तब तक केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि पंच आ.सा. पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को निरस्त नहीं किया जा सकता। ***जगदीश*** (पूर्वोक्त) का मामला, जिसका उल्लेख अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा किया गया, मूलतः इस मामले से भिन्न है क्योंकि उस मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने निष्कर्ष दर्ज किया कि साक्ष्य के अतिरिक्त पञ्च गवाहों के अपने बयान से पक्षद्रोही हो जाने के कारण विवेचना अपास्त कर दिया गया |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियोजन के मामले की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरा तर्क दिया कि चूंकि सील किए गए सामग्री का नमूना एफ.एस.एल., रायपुर को नहीं भेजा गया था, इसलिए सील बंद सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना को इस मामले में पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने इस संबंध में ***रेमगुल@ रेमुलाल और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य,*** *2003 (1) CLR 220;* ***राजस्थान राज्य बनाम दौलतराम*** *AIR 1980 SC 1314,* ***राजस्थान राज्य बनाम गुर्नैल सिंह*** *2005 Cr.L.R (SC) 328| प्रकरणों में* दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया ।

9. ***रेमगुल उर्फ़ रेमुलाल के मामले (पूर्वोक्त)***, अभियोजन ने उस कांस्टेबल का परीक्षण नहीं किया, जिसने रासायनिक परीक्षण के लिए सामग्री ली थी और सील का नमूना भी संपत्ति के साथ

मालखाने में जमा नहीं किया गया तथा सामग्री को यथावत रखा गया और अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, धारा 52, 55 और 57 के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया और ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन के साक्ष्य विसंगतियों से भरे हुए हैं और आरोपी/अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त निर्णय में ही ***दौलतराम के मामले (पूर्वोक्त***) का उल्लेख किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि जब अफीम के नमूने विभिन्न व्यक्तियों की अभिरक्षा से होते हुए सार्वजनिक विश्लेषक तक पहुंचे, और अभियोजन द्वारा उन व्यक्तियों की गवाही प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अभिरक्षा में नमूने रहे थे, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि नमूनों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई, तब यह माना गया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि परीक्षण अवधि के दौरान नमूनों की अखंडता बनी रही। चूंकि यह एक ऐसा तथ्य था, जिसे अभियोजन द्वारा सकारात्मक रूप से प्रमाणित किया जाना आवश्यक था, अतः इस विफलता के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सका।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ***सुरमेल सिंह*** (पूर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि सील का कोई नमूना उस वस्तु के नमूने के साथ संबंधित आबकारी प्रयोगशाला को भेजा नहीं गया था ताकि उसे नमूना बोतलों पर लगी सील से मिलाया जा सके, और यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि नमूना बोतलों पर जो सील पाई गई, वही वास्तव में वही सील थी जो प्रतिबंधित वस्तु जब्त करने के तुरंत बाद नमूना बोतलों पर लगाई गई थी। इन खामियों के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दोषमुक्ति का निर्णय यथावत रखा गया।

11. इस मामले में, नमूना रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल., रायपुर को पुलिस अधीक्षक रायपुर के 14.10.99 के ज्ञापन (प्रदर्श.-पी/1) के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें यह उल्लेख नहीं है कि जब सील की गई जब्त सामग्री का नमूना प्रयोगशाला को भेजा गया, तब सील का नमूना भी भेजा गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस पर जोर दिया

कि चूंकि सील का कोई नमूना 2 पैकेटों के साथ नहीं भेजा गया, जैसा कि पुलिस अधीक्षक रायपुर के ज्ञापन में उल्लेख नहीं है, इसलिए सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। दस्तावेज़ प्रदर्श-पी/1 यह दर्शाएगा कि इसे कांस्टेबल रामगोपाल शर्मा के माध्यम से भेजा गया था, जिनका (आ.सा. क्र.-1) के रूप में परीक्षण किया गया। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में बयान दिया कि दिनांक 14.10.99 को उन्होंने इस अपराध क्रमांक का नमूना और सील का नमूना लिया था। इस बिंदु पर कोई प्रति परीक्षण नहीं की गई कि उन्होंने सील का नमूना नहीं लिया और केवल दो सील किए गए पैकेट ही एफ.एस.एल. भेजे। इसके अलावा, एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/25) की पहली पंक्ति में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रयोगशाला को दो सील दिए गए पैकेट प्राप्त हुए थे और उन पर लगी सील की विवेचना करने पर पाया गया कि वह सील उसी प्रकार की है जैसी सील के नमूने में रिपोर्ट में सील के निशान का चित्र भी बना कर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, मालखाना रजिस्टर की विवरण वस्तु को प्रदर्श-पी/56 के रूप में साबित किया गया है, जिसमें यह उल्लेखित है कि जब्त सामग्री और नमूना के साथ सील का नमूना भी जमा किया गया था और संबंधित तिथि को मालखाना में भी जमा किया गया था। इस संदर्भ में, मालखाना मोहर्रिर उर्मिला प्रसाद पांडे (आ.सा. क्रमांक-4) को अभियोजन द्वारा परीक्षण में लिया गया, जिन्होंने यह कहा कि दिनांक 12.10.99 को उन्होंने जब्त सामग्री के सील किए गए पैकेट और सील के नमूना को अपराध क्रमांक 435/99 से संबंधित सामग्री के रूप में प्राप्त किया और उक्त रजिस्टर में इसका उल्लेख किया। अतः, विवेचन किये जाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि सील का नमूना संबंधित तिथि पर एफ.एस.एल भेजा नहीं गया था। एफ.एस.एल को केवल जब्त की गई वस्तुओं के नमूने ही भेजे गए थे। पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन (प्रदर्श-पी/1) में सील के नमूने को भेजने के संबंध में तथ्य का उल्लेख न होना एक चूक के रूप में प्रतीत होता है, जिसे अन्य साक्ष्यों के प्रकाश में अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि हम एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/25) में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उल्लिखित सील के स्केच की तुलना जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श-पी/10 और प्रदर्श-पी/11) में दर्ज मूल सीलों से करें, तो यह प्रतीत होता है कि सभी सील समान हैं। यह आगे इस संभावना को समाप्त कर देता है कि सील का नमूना एफएसएल को नहीं भेजा गया था। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार नहीं किए जा सकते। अभियोजन द्वारा यह स्थापित किया गया है कि वास्तव में, जब्ती के समय सामग्री सील की गई थी और इन्हें मालखाने में सुरक्षित स्थिति में सील के नमूने के साथ जमा किया गया था और इन्हें एफएसएल को रासायनिक परीक्षण हेतु सील के नमूने के साथ भेजा गया था, जो सुरक्षित पाई गई। अंततः, परीक्षण हेतु भेजी गई वस्तु को अफीम पाया गया और पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन में सील के नमूने को भेजने का उल्लेख न होने की चूक को अन्य साक्ष्यों के प्रकाश में अभियोजन की कहानी को अस्वीकार करने का आधार नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बाद में यह तर्क दिया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के संदर्भ में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक है इसमें कोई संदेह नहीं है। विधान मंडल ने राजपत्रित अधिकारी में विश्वास व्यक्त किया है और प्रावधानों का आरोपी का अधिकार माना है, जिसने कथित तौर पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत अपराध किया है। यह संकेत है कि जब अपराध गंभीर और गंभीर प्रकृति का होता है, तब कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, जिनमें से कुछ अनिवार्य हैं, अनुसंधान एजेंसी द्वारा कड़ाई से पालन किए जाने चाहिए।

13. जहाँ तक एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का संबंध है, सर्वोच्च न्यायलय ने ***मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 7 SCC 465*** के मामले में उच्च सर्वोच्च न्यायलय अभिनिर्धारित में माना कि धारा 50 की भाषा स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट है कि तलाशी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए, न कि परिसर, वाहन या वस्तुओं की तलाशी के संबंध में। अतः, यह स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु जैसे "बैग" की तलाशी ली जानी थी, ऐसी तलाशी और जब्ती की

कार्यवाही में पुलिस अधिकारी के लिए एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक नहीं था, और यदि उक्त धारा का अनुपालन नहीं किया गया हो अथवा उसका उचित एवं प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ हो, तो भी इससे विचारण की प्रक्रिया निष्प्रभावी (विषम या अमान्य) नहीं मानी जाएगी।

14. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, निर्णय के पैरा-14 से आगे के अवलोकन से यह पता चलता है कि विवेचना अधिकारी ने इस प्रावधान का भी पालन किया और उक्त प्रावधानों का पालन करने के बाद आरोपी के "बैग" की तलाशी ली गई। अतः धारा 50 में निहित वैधानिक संरक्षण के अनुपालन न किए जाने को आधार बनाकर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दोषपूर्ण ठहराने का तर्क स्वीकार्य नहीं है।" के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अंत में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब्त की गई वस्तु (अफीम) विशेष न्यायालय में विचारण के समय प्रस्तुत नहीं की गई, अतः आरोपी के साथ अन्याय हुआ है और इस स्थिति में सजा टिकाऊ नहीं है। उन्होंने ***जितेंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2003 एससीआर (क्रिमिनल) 902*** के निर्णय का उल्लेख किया। उस मामले में, पंच आ.सा. पक्षद्रोही हो गए थे और विवेचना अधिकारी का भी परीक्षण नहीं किया गया था और कथित रूप से जब्त की गई प्रतिबंधित वस्तु भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी और उस स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विचारण में अभियोजन के लिए ठोस सबूतो से यह स्थापित करना आवश्यक था कि आरोपियों के कब्जे से चरस और गांजा की उक्त मात्रा जब्त की गई थी। जिसके लिए सर्वोत्तम साक्ष्य वही जब्त की गई सामग्री होती, जिसे विचारण के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और सामग्री वस्तुओं के रूप में अंकित किया जाना चाहिए था। केवल मौखिक साक्ष्य, उनकी विशेषताओं और जप्तिपत्रक प्रस्तुत करने के संबंध में, अभियोजन पर पड़े भारी बोझ को पूरा नहीं करता, विशेषकर जब अपराध एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत सश्रम दंड से दंडनीय हो। न्यायालय ने कहा कि चूंकि पंच पक्षद्रोही हो गए थे, जप्तिपत्रक केवल एक दस्तावेज मात्र है

एनडीपीएस अधिनियम के तहत सश्रम दंड। न्यायालय ने कहा कि चूंकि पंच पक्षद्रोही हो गए थे, जप्तिपत्रक केवल एक दस्तावेज मात्र है जो संबंधित कथित अधिकारी द्वारा लिखित एवं प्रति परिक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिया गया सुझाव ध्यान देने योग्य है| जैसा कि पूर्वोक्त उल्लेखित किया गया, उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया उक्त दृष्टिकोण एक एसे मामले में था, जिसमें पंच आ.सा. पक्षद्रोही होने के बाद विवेचना अधिकारी का भी परीक्षण नहीं हुआ था, और इस पृष्ठभूमि में दोषसिद्ध को यह कहते हुए अपास्त कर दिया गया था कि सामग्री/जब्त की गई वस्तु को प्रस्तुत न करना केवल एक प्रक्रियात्मक अनियामियता नहीं थी, बल्कि इससे आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ| वर्तमान मामले में, विवेचना अधिकारी का परीक्षण किया गया और उसकी गवाही विश्वसनीय पाई गई। अतः, केवल इस आधार पर कि जब्त विनिषिद्ध पदार्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, पूरे अभियोजन के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस बिंदु पर भिन्न है। अपीलार्थी के विद्वान अर्धिवक्ता द्वारा उठाया गया तक स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अब विचारण का प्रश्न विवेचना अधिकारी राजेश तिवारी (अ.सा.–7) की गवाही से संबंधित है। उक्त अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया कि उन्हें सूचना प्राप्त होने पर कि दर में बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैग लेकर खड़े हैं, उन्होंने थाना छोड़कर उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में बैग लिए हुए खड़े थे। उन्होंने उन्हें खोज निकाला और अंततः, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन करने के बाद (हालांकि इस मामले में इसकी आवश्यकता नहीं थी) और अन्य प्रावधानों का पालन करते हुए, अपीलार्थी के बैग की तलाशी ली, जिसमें 4 किलोग्राम की मात्रा में अफीम मिली। तलाशी जप्तिपत्रक और जब्ती जप्तिपत्रक तैयार किए गए, और जब्त की गई वस्तु, उसके नमूने और सील का नमूना तैयार किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद, वस्तुओं को मालखाना में जमा कर दिया गया और मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि की गई,

जो कि प्रदर्श पी/5 सी के ज्ञापन के माध्यम से वस्तु के नमूने | इसके बाद, जब्त की गई वस्तु और सील के नमूने को एफएसएल रायपुर में रासायनिक विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन (प्रदर्श पी/1) के माध्यम से भेजा गया और रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/25) प्राप्त हुई, जिसके अनुसार जब्त की गई वस्तु अफीम पाई गई।

17. विवेचना अधिकारी की गवाही तथा अन्य गवाहों की गवाही (जैसा कि पूर्वोक्त चर्चा की गई है) का अवलोकन करने के बाद, मुझे उनकी गवाही में कोई भी विसंगति नहीं दिखाई दी, और इस प्रकार की गवाही के आधार पर दी गई दोषसिद्ध संभव है। विशेष न्यायालय ने केवल विवेचना अधिकारी राजेश तिवारी (आ. सा.-7) की एकमात्र गवाही पर निर्भर रहकर कोई भी विधिक त्रुटि नहीं की है, और ऐसी गवाही के आधार पर दी गई दोषसिद्ध को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

18. इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, अतः इसे ख़ारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

---00---

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA, Advocate